<u>न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी खीरी</u>

प्रकीर्ण प्रा0पत्र सं0–1101/2026

श्रीमती तयबुन्ना बनाम मनीष

CNR No UPLP100001120-2026

धारा–175(3) बी0एन0एस0एस0

थाना–मोहम्मदी, जिला–खीरी

<u>28.05.2026 अवकाश</u>

<u>29.05.2026</u>

1– पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–175(3) बी0एन0एस0एस0 पर पूर्व तिथि को सुना जा चुका है। पत्रावली एवं थाने की आख्या का अवलोकन किया।

2– प्रार्थना पत्र द्वारा आवेदिका ने मुख्यतः यह कथन किया है कि प्रार्थिनी व विपक्षीगण एक ही ग्राम के निवासी हैं तथा विपक्षीगण सिंचाई वाले ट्यूवेल मोटर की वजह से प्रार्थिनी से रंजिश मानते हैं तथा विपक्षीगण जबरदस्ती प्रार्थिनी के पति के मोटर से सिंचाई करना चाहते थे, मना करने पर प्रार्थिनी के पति के साथ घटना के पूर्व मारपीट कर चुके हैं। घटना दिनांक 24.04.2026 समय लगभग 12 बजे की है कि प्रार्थिनी अपने घर पर थी तभी विपक्षीगण प्रार्थिनी के पति से मारपीट करने के बाद प्रार्थिनी के दरवाजे पर आये और प्रार्थिनी को मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देकर कहने लगे कि तेरा ट्यूवेल मोटर में कोई हिस्सा नहीं है। प्रार्थिनी के विरोध करने पर विपक्षीगण मनीश पुत्र कासिम, कासिम पुत्र उमर खान, रोशन जहां पत्नी कासिम ने प्रार्थिनी को गालियां देते हुए मारने दौड़े, कासिम के हाथ में तमन्चा तथा मनीश के हाथ में डण्डा था। प्रार्थिनी डर की वजह से घर के अन्दर भागी, तब विपक्षीगण प्रार्थिनी के घर के अन्दर जबरदस्ती घुसकर प्रार्थिनी को लात घूसों तथा डण्डों से मारने लगे, रोशनजहां ने चप्पलों से पिटाई की। उक्त घटना से प्रार्थिनी के गर्दन, पीठ व पूरे शरीर में चोटें आयी। शोरगुल सुनकर गांव के ही शमशुल पुत्र किशवर, मोनिश पुत्र अश्फाक तथा गांव वके बहुत से लोग इकट्ठा हो गये। विपक्षी कासिम तमन्चा लहराते हुए व अन्य विपक्षीगण गन्दी गन्दी गालियां देते हुए भविष्य में जान से मार डालने की धमकी देते हुए भग गये। विपक्षीगण को स्थानीय नेताओं का संरक्षण प्राप्त है तथा विपक्षीगण काफी दबंग व आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। प्रार्थिनी ने उक्त घटना की सूचना थाना मोहम्मदी में दी तथा उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया, किन्तु कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय श्रीमानजी की शरण में आया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने हेतु पुलिस कोतवाली मोहम्मदी, खीरी को निर्देशित करने की कृपा की जावे।

थाने से प्राप्त आख्या दिनांकित 11.05.2026 का अवलोकन किया। थाने से प्राप्त आख्यानुसार उक्त प्रकरण में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा–175(3) बी0एन0एस0एस0 में उपरोक्त वर्णित जिन तथ्यों का उल्लेख किया है उनसे आवेदिका भली–भॉति परिचित है एवं स्वतः साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है एवं आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय जॉच भी करा सकती है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा सुस्थापित विधिव्यवस्था 2007 (59) ए0सी0सी0 पेज 739 सुखवासी प्रति स्टेट ऑफ यू0पी0 में प्रतिपादित सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत प्रकरण परिवाद के रुप में दर्ज किये जाने योग्य है।

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–175(3)बी0एन0एस0एस0 परिवाद के रुप में दर्ज हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी दिनांक 30.06.2026 को पेश हो।

दिनांक–29.05.2026

(श्रद्धा भारतीय)

(J.O Code-UP1964)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

मोहम्मदी–खीरी